सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 27, सोमवार, *शाके* 1945-सितम्बर 18, 2023

Bhadra 27, Monday , Saka 1945- September 18, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग(पथ) राजस्थान जयपुर

प्रारंभिक अधिसूचना

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता अधिकार अधिनियम)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 03, 2023

(RFCTLARR ACT–**2013** के अनुभाग–**11** के अनुसार)

प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति चम्बल नदी कोटा/सवाईमाधोपुर पर किमी 20/500 से 23/148 खातौली कैथुदा दौलतपुरा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन कें लिऐ पटवार मण्डल कैथुदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में 3.946 हैक्टेयर भूमि जिसमें निजी 2.3545 व सरकारी 1.5916 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है "चम्बल नदी कोटा/सवाईमाधोपुर पर किमी 20/500 से 23/148 खातौली कैथुदा दौलतपुरा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य के दौरान भूमि अवाप्ति के लिऐ युक्त सचिव(पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ **7(83)**/A&F/Sec-II/2020-21/D-55 दिनांक 3.5.2021 द्वारा भूमि अवाप्ति एवं युटिलिटी शिफ्टिंग की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। "सामाजिक प्रभाव आंकलन SIA कमेटी द्वारा किया गया था और एक रिपोर्ट प्रस्तुत/प्रारंभिक जांच इस कार्यालय के पत्रांक भु.अवाप्ति/2023/349 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा दिनांक 5.4.2023 को अलग-अलग स्थानों पर (कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र कैथुदा ग्रम पंचायत कैथुदा) पर नियम 16 के तहत बैठक रखी गई थी। सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सारांश इस प्रकार है।

नोटः SIA यहां RFCTALRR ACT के खण्ड 17 के अनुसार बैठक में दोनो स्थानों पर सर्वसहमति से भूमि अवाप्ति की सहमति दी गई ।

भूमि अधिग्रहण के कारण कैथुदा में 3.946 हैक्टेयर भूमि जिसमें निजी 2.3545 व सरकारी 1.5916 हैक्टेयर आ रही है। जिनको नियमानुसार मुआवजा देय होगा। अधिग्रहण की विस्तृत सूचना निम्नानुसार है।

ग्राम :- कैथुदा तहसील :- पीपल्दा जिला कोटा।

क्र. सं.	खसरा संख्या	शीर्शक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण क्षेत्र	व्यक्ति का नाम और पता
1	63	सरकारी	गै.मु.नदी	0.3524	राजस्थान सरकार
2	73	सरकारी	तीर	0.0615	राजस्थान सरकार
3	63/617	सरकारी	तीर	0.0217	राजस्थान सरकार

4	72	निजी	तीर	0.1598	1. कल्याणी बाई पत्नि स्व. भैरू हिस्सा 1/240 2. कैलाशी बाई पत्नि बद्री हिस्सा 1/12 3. किशनगोपाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 5/312 4. गिर्राज पुत्र धनश्याम हिस्सा 5/312 5. गोपाल पुत्र औकार हिस्सा 1/12 6. धनश्याम पुत्र जगन्नााथ हिस्सा 5/312 जाति 7. छीताबाई पुत्री बद्री हिस्सा 1/12 8. जगन्नाथ पुत्र कान्हा हिस्सा 1/12 9. जगन्नाथी पुत्री बीरबल हिस्सा 5/312 10. जमनाबाई पुत्री भैरू हिस्सा–1/240 11. जानकी पुत्री गजानन्द हिस्सा 5/312 12. दुर्गे"ा बाई पुत्री बद्री हिस्सा 5/1872 13. द्रोपती बाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 14. दाखॉ पुत्री बीरबल हिस्सा 5/312 15. धर्मेन्द्र पुत्र धनश्याम हिस्सा 5/312 16. धोलाबाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 17. नरेन्द्र पुत्र बद्री हिस्सा 5/1872 18. प्रसादी बाई पुत्री बद्री हिस्सा 1/12 19. प्रहलाद पुत्र कान्हा हिस्सा 1/12 20. फुला बाई पत्नी बद्री हिस्सा 5/1872 21. बद्री बाई पत्नि स्व. धनश्याम हिस्सा 5/312 22. बरजीबाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 23. महावीर पुत्र कि"ाना हिस्सा 1/12 24. रूघनाथी पत्नि स्व. गजानन्द हिस्सा 5/312

					25. राणीबाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 26. राधेश्याम पुत्र भैरू हिस्सा 1/240 27. रामचरण पुत्र गजानन्द हिस्सा 5/312 28. रामप्रसाद पुत्र बद्री हिस्सा 1/12 29. रामप्रसाद पुत्र भैरू हिस्सा 1/240 30. लाड बाई पुत्री बद्री हिस्सा 5/1872 31. विधाधर पुत्र भैरू हिस्सा 1/240 32. विधाबाई पुत्री बद्री हिस्सा 5/1872 33. शिवराज पुत्र धनश्याम हिस्सा 5/312 34. सम्पत बाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 35. सुरेन्द्र पुत्र बद्री हिस्सा 5/1872 36. सियाराम पुत्र बद्री हिस्सा 1/12 37. हॅसराज पुत्र गजानन्द हिस्सा 5/312 जाति गूजर सा.देह खातेदार
4	74	निजी	तीर	0.0142	1. कल्याणी बाई पत्नि स्व. भैरू हिस्सा 1/240 2. कैलाशी बाई पत्नि बद्री हिस्सा 1/12 3. किशनगोपाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 5/312 4. गिर्राज पुत्र धनश्याम हिस्सा 5/312 5. गोपाल पुत्र औकार हिस्सा 1/12 6. धनश्याम पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 5/312 7. छीताबाई पुत्री बद्री हिस्सा 1/12 8. जगन्नाथ पुत्र कान्हा हिस्सा 1/12 9. जगन्नाथी पुत्री बीरबल हिस्सा 5/312 10. जमनाबाई पुत्री भैरू हिस्सा–1/240 11. जानकी पुत्री गजानन्द हिस्सा

					5/312 12. दुर्गे"ा बाई पुत्री बद्री हिस्सा 5/1872 13. द्रोपती बाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 14. दाखॉ पुत्री बीरबल हिस्सा 5/312 15. धर्मेन्द्र पुत्र धनश्याम हिस्सा 5/312 16. धोलाबाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 17. नरेन्द्र पुत्र बद्री हिस्सा 5/1872 18. प्रसादी बाई पुत्री बद्री हिस्सा 1/12 19. प्रहलाद पुत्र कान्हा हिस्सा 1/12 20. फुला बाई पत्नी बद्री हिस्सा 5/1872 21. बद्री बाई पत्नि स्व. धनश्याम हिस्सा 5/312 22. बरजीबाइ पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 23. महावीर पुत्र कि"ाना हिस्सा 1/12 24. रूघनाथी पत्नि स्व. गजानन्द हिस्सा 5/312 25. राणीबाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 26. राधेश्याम पुत्र भैरू हिस्सा 1/240 27. रामचरण पुत्र गजानन्द हिस्सा 5/312 28. रामप्रसाद पुत्र बद्री हिस्सा 1/12 29. रामप्रसाद पुत्र भैरू हिस्सा 1/240 30. लाड बाई पुत्री बद्री हिस्सा 5/1872 31. विधाधर पुत्र भैरू हिस्सा 1/240 32. विधाबाई पुत्री बद्री हिस्सा 5/1872 33. शिवराज पुत्र धनश्याम हिस्सा 5/312 34. सम्पत बाई पुत्री भैरू हिस्सा 1/240 35. सुरेन्द्र पुत्र बद्री हिस्सा 5/1872

					36. सियाराम पुत्र बद्री हिस्सा 1/12 37. हॅसराज पुत्र गजानन्द हिस्सा 5/312 जाति गूजर सा.देह खातेदार
5	78	स्रकारी	बंजड	0.2250	राजस्थान सरकार
6	80	सरकारी	बंजड	0.0294	राजस्थान सरकार
7	82	निजी		0.1433	1. केशरबाई पत्नि बंसीलाल हिस्सा 1/2 2. फूलॉ पत्नि स्व.भैरू हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा.देह खातेदार
8	82/682	सरकारी	बारानी द्वितीय	0.0703	राजस्थान सरकार
9	81	सरकारी	रास्ता	0.0190	राजस्थान सरकार
10	84	सरकारी	बारानी द्वितीय	0.3764	राजस्थान सरकार
11	733/84	निजी			अंगद पुत्र शिवनारायण हिस्सा पूर्ण जाति गूजर बीरम की तह.सपोटरा जिला करौली खातेदार
12	734/84	निजी			प्रभुदयाल पुत्र भूरामल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा.आदर्शनगर खातेदार
13	123	निजी		0.2113	1. इन्द्र पुत्र चन्दगी हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी पाई तहसील पुन्डरी जिला केतल(हरियाणा) खातेदार 2. गिरधारी पुत्र अम्बालाल हिस्सा 1/8 जाति गूजर सा.देह खातेदार 3. गोपाल पुत्र अम्बालाल हिस्सा 1/8 जाति गूजर सा.देह खातेदार 4. दलवीर सिंह पुत्र मेवासिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी पाई तहसील पुन्डरी जिला केतल (हरियाणा) खातेदार 5. नीरोबाई पुत्री अम्बालाल हिस्सा 1/8 जाति गूजर सा. देह/खातेदार 6. रामस्वरूप पुत्र अम्बालाल हिस्सा 1/8 जाति गूजर सा. देह/खातेदार
14	125	निजी		0.0851	1. कल्याणी पुत्री गोरधन हिस्सा 1/4 2. भैरूलाल पुत्र गोरधन हिस्सा 1/4 3. लक्ष्मण पुत्र गोरधन हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा.देह खातेदार

15	125/633	सरकारी	बारानी द्वितीय	0.2674	राजस्थान सरकार
16	126	निजी	बारानी द्वितीय	0.5056	1. रंगा पुत्र मांग्या हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा.देह खातेदार
17	127	निजी	बारानी द्वितीय	0.2813	कैला"ा पुत्र मांग्या हिस्सा 1/5 प्रहलाद पुत्र मांग्या हिस्सा 1/5 मनफूल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/5 रंगा पुत्र मांग्या हिस्सा 1/5 रामपाल पुत्र मांग्या हिस्सा 1/5
18	218/648	सरकारी	बारानी प्रथम	0.4012	राजस्थान सरकार
19	218	निजी		0.0726	1. कमलेश पुत्री रमेश हिस्सा 1/30 2. कालीबाई पत्नि स्व.रमेश हिस्सा 1/30 3. गीताबाई पुत्री भूरिया हिस्सा 1/3 4. छोटा पुत्र देव्या हिस्सा 1/3 5. बंटी पुत्र रमेश हिस्सा 1/30 6. नाबारिग राजकंरता पुत्री रमेश सरंक्षक माती काली बाई हिस्सा 1/30 7. सियाराम पुत्र उकांरिया हिस्सा 1/6 8. नाबालिग हरिओम पुत्र रमेश सरंक्षक माता कालीबाई हिस्सा 1/30 जाति बैरवा सा.देह खातेदार
20	223	निजी		0.5049	1. मोहन पुत्र सरया हिस्सा पूर्ण जाति गूजर सा.देह खातेदार
21	224	सरकारी	बारानी द्वितीय	0.01441	राजस्थान सरकार
		योग	सरकारी	1.5915	
			निजी	2.3545	
		कुल योग		3.946	

पेड	संख्या	इमारत/कुआ	क्षेत्रफल
कैथुदा	30	2	

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम , 2013 (2013 के अधिनियम संख्या 30) के अधिकार के उचित मुआवजा और पारदर्शिता की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत बनाई गई है।

प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति चम्बल नदी हाई लेवल ब्रिज एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा कार्यालय में और कार्य दिवस के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर भूमि की एक योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

सरकार अधिकारी और उसके कर्मचारियों का अधिकृत करने और भूमि पर किसी भी भूमि के स्तर का सर्वेक्षण करने , खोदने या बोर करने के लिऐ अधिकृत करने और अन्य सभी कृत्यों को उनके कार्य के उचित निष्पादन के लिऐ आवश्यक बताती है। और उक्त अधिनियम का धारा 12 में निर्दिष्ट है। अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी लेन-देन को नही करेगा या भूमिके किसी भी लेन-देन अर्थातृ बिक्री/खरीद आदि का कारण नही बनेगा।

अधिग्रहण की आपत्तियॉ, यदि कोई हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीखसे 21(इक्कीस दिनों) के भीतर इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी , भूमि अवाप्ति चम्बल नदी हाई लेवल ब्रिज एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदान किया गया है।

अधिग्रहण की आपत्तियॉ, यदि कोई हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21(इक्कीस दिनों) के भीतर इच्छूक व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति चम्बल नदी हाई लेवल ब्रिज एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदान किया गया है।

स्थानः-
दिनांकः-

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।